

को पेश है।


24.7.23

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं अधिवक्ता उपाधित।
वादी द्वारा पत्रावली पर अंकित कृते हुए निवेदन किया

की वृत्त इस प्रकरण में अब कोई कार्यवाही नहीं चाहता
है। प्रार्थी की पहचान प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली विद्यक्षी/अ
की तामिल में निहित है। प्रार्थी स्वयं ने उपाधित होकर
प्रार्थनपत्र में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहे जाने के इच्छी
स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय सरे 3 जलाल
सुनाया गया।

प्रकरण फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से 3 म.
है।


प्रतिभा वर्मा
IPS
उपखण्ड अधिकारी
गिरवा, उदयपुर